न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 139/2020 **दायर तारीख :–** 04-12-2020

1. शीशराम पुत्र श्री मामराज सहरावत जाति जाट निवासी मकान नंबर 212, झारसा रोड, सैक्टर–15 पार्ट–1, गुडगांव हरियाणा हाल खातेदार सूरपुरा पटवार हल्का बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. कृपा देवी पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सूरपुरा पटवार हल्का बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : –15.07.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सूरपुरा के खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 801/0.03, 803/0.13, 876/0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 9 के हाल खसरा नंबर 799/0.12, 877/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। यह है कि वादी ने हाल खाता संख्या 85 के हाल आराजी खसरा नंबर 801, 803, 876 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर में हिस्सा 3/4 भाग भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2012 द्वारा पूर्व खातेदार साधूराम पुत्र नाथूराम से खरीद की है। इसी प्रकार खाता संख्या 9 के हाल आराजी खसरा नंबर 799, 877 किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर में हिस्सा 2/3 भाग भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2012 द्वारा पूर्व खातेदारी भैरू एवं साधूराम पिसरान नाथूराम से खरीद की है। इस प्रकार खाता संख्या 85 के हाल आराजी खसरा नंबर 801, 803, 876 किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 3/4 एवं खाता संख्या 9 के हाल आराजी खसरा नंबर 799, 877 किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 2/3 भाग मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–2079 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादिया ने अपने उक्त दोनों खातों में दर्ज भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपनी खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार वादी अपने हिस्से भूमि बाहमी बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

में प्राप्त कर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर अपना उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा उक्त आराजी कीमती भूमि होने से प्रतिवादिया, वादी से मनमुटाव रखती है तथा वादी की भूमि को हडप कर अपनी भूमि में मिलाना चाहती है, जिसके चलते प्रतिवादिया, वादी के हिस्से की भूमि की सींव डोल को काटकर अपनी खातेदारी में मिलाती है, जिससे संयुक्त खातेदारी में रहते काश्त करना संभव नहीं रहा है। तथा प्रतिवादीया, वादी को खुद की जमीन में शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने तथा आराजी से जबरन बेखल करने की एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादिया अपनी धमकी को अमल लाते हुए वादिया को उसके हिस्से की भूमि से काश्त करने से रोकने में सफल हो जाते है तो वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम सूरपुरा के खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 801/0.03, 803/0.13, 876/0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 9 के हाल खसरा नंबर 799/0.12, 877/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा कर वादी के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार किया जाकर वादी, को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड सरस–नरस के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड कि नियमों के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी का पर्चा अलग से बनाया जाकर लगान अलग–अलग निर्धारण किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावे तथा नक्शें में तरमीम किया जावें। साथ प्रतिवादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम सूरपुरा खाता संख्या 85 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम सूरपुरा खाता संख्या 9 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति विक्रय पत्र आदि पेश किए गये।
4. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 25.02.2021 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम सूरपुरा के खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 801/0.03, 803/0.13, 876/0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 9 के हाल खसरा नंबर 799/0.12, 877/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर की खातेदारी,वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	शीशराम पुत्र मामराज हिस्सा पूर्ण जाति जाट मकान नंबर 212, झारसा रोड, सैक्टर 15 पार्ट 1 गुडगांव हरियाणा खातेदार	803/0.13, 876/0.2140, 799/0.1060, 801/0.0084 हैक्टेयर
2	कृपा देवी पत्नि महेशचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा	799/0.0140, 876/0.0060, 877/0.1400, 801/0.0216 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी • विराटनगर (जयपुर) • सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. शीशराम पुत्र श्री मामराज सहरावत जाति जाट निवासी मकान नंबर 212, झारसा रोड, सैक्टर–15 पार्ट–1, गुडगांव हरियाणा हाल खातेदार सूरपुरा पटवार हल्का बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. कृपा देवी पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सूरपुरा पटवार हल्का बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 139/2020 **दावा बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सूरपुरा के खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 801/0.03, 803/0.13, 876/0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 9 के हाल खसरा नंबर 799/0.12, 877/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा कर वादी के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार किया जाकर वादी, को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादिया के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड सरस–नरस के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड कि नियमों के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी का पर्चा अलग से बनाया जाकर लगान अलग–अलग निर्धारण किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावे तथा नक्शें में तरमीम किया जावें। साथ प्रतिवादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	शीशराम पुत्र मामराज हिस्सा पूर्ण जाति जाट मकान नंबर 212, झारसा रोड, सैक्टर 15 पार्ट 1 गुडगांव हरियाणा खातेदार	803/0.13, 876/0.2140, 799/0.1060, 801/0.0084 हैक्टेयर
2	कृपा देवी पत्नि महेशचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा	799/0.0140, 876/0.0060, 877/0.1400, 801/0.0216 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 15.07.2021** को जारी की गई।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)